



INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No.	: IN-DL58410960839659V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 05:32 PM
Account Reference	: IMPACC (IV)/ dl723903/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-DL72390384072581668873V
Purchased by	: SRIJAN TRUST
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SRIJAN TRUST
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SRIJAN TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

(प्रारूप 'अ')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम श्रीवत्स शर्मा (नाम अध्यक्ष) विनोद कुमार सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव.....।
सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एंड पता) सृजन ट्रस्ट 3/31, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ -226010 शपथ पूर्वक
निम्नवत बयान करती है :-

1. यह की हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सृजन ट्रस्ट (संस्था का नाम एवं पता) 3/31, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ -226010 नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है
2. यह की हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम सृजन ट्रस्ट (पता जहा पर भूमि स्थित है) मौरपुर काटा, सलोनिया तिराहा, सोहावल, आयोध्या-224001 में गाटा संख्या 148 एवं 149 रकबा क्रमश। एवं 1.1 हेक्टेयर (कुल रकबाहेक्टेयर) भूमि है
3. यह की उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है
4. यह की उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 148 एवं 149 रकबा क्रमश। 1.1 हेक्टेयर (कुल रकबा। हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 10.09.2019 द्वारा पारित किया गया है
5. यह की उपरोक्त भूमि पर ही प्रशजगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है
6. यह की निरीक्षण समिति के संत उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों की ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किय गया है

TARY PUS

7. यह की इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर परमेशी कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्नेकी संसाधन का ही संचालन किया जाएगा
8. यह की इस संधि में परमेशी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद में संधि पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में परिष्कार प्रदान किया जाएगा।
9. यह की उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में परमेशी कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अनिश्चित किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित, सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विधालयाचार/महविपालक/आईटी आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा
10. यह की संसाधन के संचालन के हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं लैबोराटरी आदि की परमेशी कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा
11. यह की संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं अतिरिक्त रकम की तैयारी सोल्यूटो/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा ।
12. यह की संस्था / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का अतीव्रती पालन करेगा। यदि मेरे संसाधन में किसी भी समय स्पष्टिने परिष्कार में आवश्यकता कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की परीक्षा एवं संस्थागत समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जावेगी
13. मेरी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा ही मैंने उपरोक्त सुचना मेरे निजी जानकारी से पूर्व रूप से सत्य है। यदि ही मैंने जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कथरवित्त अथवा वृद्धिपूर्व पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निरन्तरानुसार कानून संगत कार्रवाई की जा सकेगी ऐसी ही मेरी विधिक कार्रवाई हेतु मेरे स्वयं उत्तरदायी होना

हो जयरा श्रीवत्स शर्मा

हो सचिव जिनार्थ सिंह